संख्या-06/2024/976/63-व0उ0-2024-1629045

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,

उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 27 नवम्बर, 2024

विषय: भारत सरकार की पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ (404.69 हे0) भूमि पर विकसित होने वाले मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र पार्क) के विकास हेतु मास्टर डेवलपर के चयन से संबंधित बिड डाक्यूमेन्ट (RFP Cum RFQ and draft concession agreement) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-711/ह0क0-नियोजन/2024-25 दिनांक- 03-10-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार द्वारा पीएम मित्र पार्क योजना प्रारम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य देश में सात मेगा वस्त्र और परिधान पार्कों का विकास करना है। पीएम मित्र पार्क के विकास एवं संचालन हेतु भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले स्पेशल पर्पज वेहिकल (SPV) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त (SPV) में 51 प्रतिशत शेयर अंशधारिता उत्तर प्रदेश सरकार की होगी एवं शेष 49 प्रतिशत भारत सरकार की। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पार्क हेतु 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त गेट तक चार-लेन सड़क कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति और पानी की आपूर्ति सहित बाह्य बुनियादी ढांचे का विकास करें। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा ग्रीन फील्ड पार्क परियोजना के तहत कुल लागत का 30% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये की होगी। तत्क्रम में पी0एम0 मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लि0 नाम से SPV को कम्पनी अधिनियम के तहत अधिनियमित किया जा चुका है।

3- उक्त योजना के अन्तर्गत मेगा वस्त्र और परिधान पार्क लखनऊ-हरदोई की सीमा पर स्थापित किया जा रहा है। उक्त पार्क के विकास हेतु चयनित की गई भूमि को एस.पी.वी. को 99 वर्ष की लीज पर प्रति वर्ष प्रति एकड़ 1 रुपये की दर से हस्तांतरित किया जा चुका है।

4- पी0एम0 मित्र पार्क योजना के क्रियान्वयन हेतु यह परिकल्पित है कि प्रश्नगत पार्क का विकास, विपणन एवं संचालन PPP के आधार पर निविदा द्वारा चयनित मास्टर डेवलपर द्वारा किया जायेगा। इस हेतु भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा समस्त संबंधित राज्यों से विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत मॉडल बिड अभिलेख (RFP) एवं Draft Concession Agreement(DCA) तैयार किया गया है। उक्त बिड अभिलेख के माध्यम से पीएम मित्र पार्क के विकास के लिए मास्टर डेवलपर्स का चयन किया जाना है ।

5- ड्राफ्ट बिड अभिलेख में उल्लिखित मुख्य मानदंडों में डिजाइन, निर्माण, वित्त-पोषण, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर आधारित है एवं चयनित मास्टर डेवलपर को 50 वर्षों की रियायत अवधि पर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- चयनित मास्टर डेवलपर वैश्विक मानकों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार करने और SPV के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। पार्क के अन्दर की अवस्थापना का विकास मास्टर डेवलपर द्वारा अपने जोखिम और लागत पर किया जायेगा। साथ ही वह विपणन, संचालन और रख रखाव हेतु भी उत्तरदायी होगा। मास्टर डेवलपर को विकसित भूमि व उस पर स्थापित आस्तियों के प्रीमियम, उस पर पारित किये जाने वाले वार्षिक लीज प्रीमियम निर्धारित करने तथा अपने भूमि आवंटन और परियोजना के उपयोगकर्ताओं से राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त होगा। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, परिसंपत्तियों को मास्टर डेवलपर द्वारा पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड को निःशुल्क एवं यथास्थिति हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

7- पार्क में विकसित की जाने वाली सुविधाएं: चयनित मास्टर डेवलपर को पार्क के भीतर आंतरिक सड़क; विद्युत वितरण, बुनियादी ढांचा, जल और अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं, प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे का विकास; फैक्टरी शेड्स, इन्क्यूबेशन सेंटर, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, (CETP with ZLD), कॉमन बॉयलर, श्रमिकों के हॉस्टल और आवास (विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए), स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षण और कौशल विकास, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा।

8- मास्टर डेवलपर का दायित्व-

(a) राज्य सरकार की सहमति से वैश्विक मानकों के अनुरूप मास्टर प्लान तैयार करना।

(b) परियोजना की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ (NOC) प्राप्त करना।

(c) आंतरिक आधारभूत संरचना का डिज़ाइन, वित्तपोषण और विकास/निर्माण अपने व्यय पर करना।

(d) 50 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना सुविधाओं का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव करना।

(e) संभावित निवेशकों, हस्तांतरित कर्ताओं और किरायेदारों में परियोजना का प्रचार-प्रसार व विपणन करना और उनके साथ पूर्व निर्धारित नियम व शर्तों के अंतर्गत इकाई स्थापित करवाना।

(f) परियोजना उपयोगकर्ताओं/निवेशकों से अग्रिम राशि, लीज राशि, उपयोगकर्ता शुल्क, टैरिफ या अन्य राजस्व निर्धारित करना, मांग करना और वसूल करना।

(g) राजस्व को एस्क्रो खाते में संग्रहीत करना और वित्तीय बिड में उल्लिखित शर्तों के अनुसार राज्य सरकार के साथ इसे साझा करना।

(h) 50 वर्षों की अवधि के अंत में परियोजना की संपत्ति को राज्य सरकार को निःशुल्क एवं यथास्थित हस्तांतरित करना।

9- राज्य सरकार के दायित्व-

(a) राज्य सरकार पार्क गेट तक बाहरी आधारभूत संरचना प्रदान करेगी, जिसमें सड़क संपर्क, पानी और बिजली की आपूर्ति शामिल है।

(b) विभिन्न एजेंसियों से आवश्यक अनुमतियाँ (NOC) प्राप्त करने में मास्टर डेवलपर को सहयोग प्रदान करना।

(c) यह सुनिश्चित करना कि मास्टर डेवलपर द्वारा तैयार किया गया विस्तृत मास्टर प्लान राज्य सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार हो ।

(d) पीएम मित्र योजना की आवश्यकता के अनुसार उद्योग के प्रकार को प्राथमिकता देने, मार्केटिंग में और संभावित टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ लीजिंग शर्तों को अंतिम रूप देने में मास्टर डेवलपर को मार्गदर्शन प्रदान करना।

(e) राज्य सरकार मास्टर डेवलपर की सिफारिश के अनुसार किरायेदारों के साथ सब-लीज़ समझौता करेगा।

(f) पार्क में निवेशकों को शासन की नीति के अनुसार वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लाभ प्रदान करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- ई-निविदा आवेदन की शर्त: निविदा दाता एक व्यक्ति, निजी संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या इनमें से किसी भी संयोजन के साथ एक औपचारिक इरादे से समझौते में प्रवेश करने के लिए या एक मौजूदा समझौते के तहत एक संघ बनाने के लिए हो सकता है। चयनित निविदा दाता को Concessionaire Agreement को निष्पादित करने और परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (SPV) का गठन करना होगा, (जिसे "Concessionaire SPV" कहा जाएगा)।

11- ई-निविदा की तकनीकी योग्यताएँ: निविदा दाता को तकनीकी योग्यता चरण को उत्तीर्ण करने और वित्तीय प्रस्ताव चरण के लिए पात्र होने के लिए ग्रुप A या ग्रुप B या ग्रुप C पात्रता शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य होगा।

12- ई-निविदा पैरामीटर: निविदा का मूल्यांकन उच्चतम न्यूनतम गारंटी कृत राजस्व हिस्सेदारी Minimum Guaranteed Revenue (MGR) XNPV आधार पर नियुक्ति की तिथि को समायोजित करके किया जाएगा।

13- ई-निविदा चयन प्रक्रिया: बोली दाता के चयन के लिए ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://etender.up.nic.in) का उपयोग करके एकल चरण दो लिफाफा प्रक्रिया अपनाई गयी है। वित्तीय निविदा केवल उन निविदा दाताओं के लिए खोली जाएगी जिनकी तकनीकी निविदा पात्रता और योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करती है।

14- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ (404.69 हे0) भूमि पर विकसित होने वाले मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र पार्क) के विकास हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा कमेटी आफ सेक्रेट्रीज की बैठक दिनांक 27-08-2024 में संस्तुत प्रस्ताव एवं तद्नुसार तैयार किये गये बिड डाक्यूमेन्ट (RFP Cum RFQ and draft concession agreement) (प्रति संलग्न) पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

कृपया उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 06/2024/976(1)/63-व030-2024-1629045 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शेषमणि पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in